न्यायालय सहायक कलक्टर (SDO), मावली जिला उदयपुर

पीठासीन अधिकारी : रमेश सीरवी पुनाडिया, R.A.S.

राजस्व वाद संख्या : **186/22 (वाद)**

GCMS No. : 2022/477

1. श्रीमती मैना कुंवर (पिता रायसिंह) पत्नि मोहन सिंह जी जाति राजपुत, उम्र वयस्क निवासी बासलिया हाल निवासी डलाकिशनपुरा, तहसील निम्बाहेडा, जिला चितौडगढ़ (राज.)
2. श्रीमती जसु बाई (पिता रायसिंह) पत्नि प्रेमसिंह जी जाति राजपुत, उम्र वयस्क निवासी बासलिया हाल निवासी चमनपुरा, मावली तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज.)

............वादीगण

बनाम्

1. श्री रामसिंह पिता रायसिंह जी जाति राजपुत उम्र वयस्क, निवासी बांसलिया तहसील मावली जिला उदयपुर (राज.)
2. श्री दशरथसिंह पिता रायसिंह जी जाति राजपुत उम्र वयस्क निवासी बांसलिया तहसील मावली जिला उदयपुर (राज.)
3. श्रीमती हंसाकुंवर (पिता रायसिंह जी) पत्नि बहादुरसिंह जी जाति राजपुत उम्र वयस्क निवासी डलाकिशनपुरा, तहसील निम्बाहेडा, जिला चितौडगढ (राज.)
4. श्री पुष्करसिंह पिता देवीसिंह जी (माता दर्शनकुवरं) जाति राजपुत उम्र वयस्क, निवासी अडगेला, तहसील नाथद्वारा जिला राजसमंद (राज.)
5. श्रीमती दिपा कुंवर पिता देवीसिंह जी (माता दर्शनकुवरं) जाति राजपुत उम्र वयस्क, निवासी अडगेला, तहसील नाथद्वारा जिला राजसमंद (राज.)
6. श्रीमती सुशिला कुंवर पिता देवीसिंह जी (माता दर्शनकुवरं) जाति राजपुत उम्र वयस्क, निवासी अडगेला, तहसील नाथद्वारा जिला राजसमंद (राज.)
7. श्रीमती रिना कुंवर पिता देवीसिंह जी (माता दर्शनकुवरं) जाति राजपुत उम्र वयस्क, निवासी अडगेला, तहसील नाथद्वारा जिला राजसमंद (राज.)
8. श्री राजेन्द्र सिंह पिता कालुसिहं जी जाति राजपुत उम्र वयस्क, निवासी भीमल तहसील मावली जिला उदयपुर (राज.)
9. उप पंजीयक मावली तहसील मावली जिला उदयपुर (राज.)
10. पटवारी पटवार हल्का बासलियां, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज.)
11. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार मावली जिला उदयपुर (राज.)

...............प्रतिवादीगण

उपस्थित–1. श्री शंकरलाल डांगी, अधिवक्ता वादी।

वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

निर्णय

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2026.02.10 16:29:54 IST
Reason: SelfAttested

दिनांक : 15.12.2025

1. वादी द्वारा वादपत्र अन्तर्गत धारा 88–188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा बासलिया, पटवार क्षेत्र बासलियां, तहसील मावली के आराजी नम्बर 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 729, 730 किता 10 कुल रकबा 2.1771 हैक्टयर भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में प्रतिवादी सख्या 1 के नाम 1/12 हिस्सा, प्रतिवादी सख्या 2 के नाम 1/12 हिस्सा वादीगण तथा प्रतिवादी सख्या 3, व प्रतिवादी सख्या 4 से 7 की माता दर्शन कुंवर की माता सविता कुंवर के नाम 1/12 हिस्सा व अन्य हिस्सा अन्य सहखातेदारों के नाम सयुक्त रूप से दर्ज है। आराजी नम्बर 443, 460, 473 किता 3 कुल रकबा 1.4002 हैक्टयर भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में प्रतिवादी सख्या 1 के नाम 1/12 हिस्सा, प्रतिवादी सख्या 2 के नाम 1/12 हिस्सा, वादीगण तथा प्रतिवादी सख्या 3, व प्रतिवादी सख्या 4 से 7 की माता दर्शन कुंवर की माता सविता कुंवर के नाम 1/12 हिस्सा व अन्य हिस्सा अन्य सहखातेदारों के नाम सयुक्त रूप से दर्ज है। आराजी नम्बर 728, 731, 734 किता 3 कुल रकबा 0.6152 हैक्टयर भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में प्रतिवादी सख्या 1 के नाम 1/24 हिस्सा, प्रतिवादी सख्या 2 के नाम 1/24 हिस्सा वादीगण तथा प्रतिवादी सख्या 3, व प्रतिवादी सख्या 4 से 7 की माता दर्शन कुंवर की माता सविता कुंवर के नाम 1/24 हिस्सा व अन्य हिस्सा अन्य सहखातेदारों के नाम सयुक्त रूप से दर्ज है।

2. वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 से 7 के खानदान का सजरा निम्न है :–

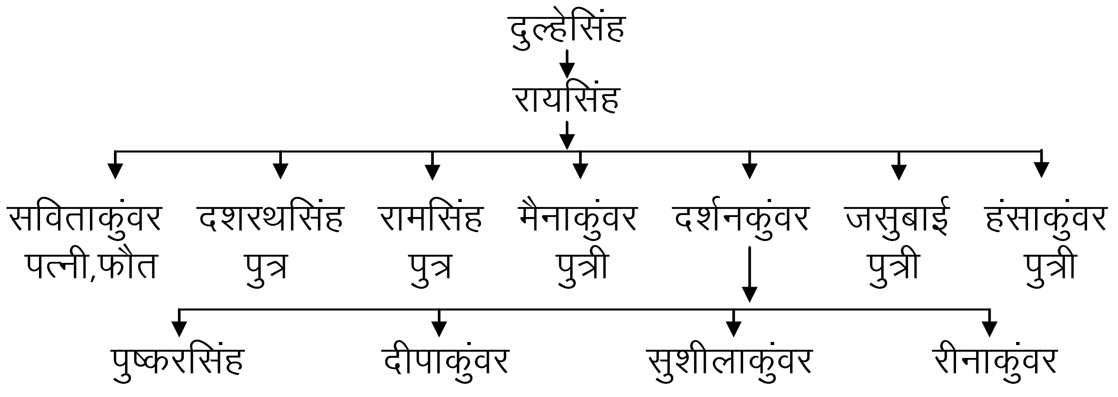

उक्त सजरें में दुलैसिंह, रायसिंह, सविता कुंवर, दर्शनकुंवर की मृत्यु हो चुकी है।

3. यह कि उक्त वर्णित आराजीयात वादीगण व प्रतिवादी सख्या 1 से 7 की मौरूसी जायदाद होकर वादीगण प्रतिवादी सख्या 1 से 7 के मोरूस

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2026.02.10 15:29:54 IST
Reason: SelfAttested

दुल्लैसिंह के समय से चली आ रही है व उक्त आराजीयात में वादीगण व प्रतिवादी सख्या 1 से 7 का हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम के तहत जन्म से ही हक व अधिकार है। इसलिए वादीगण अपने हिस्सेनुसार उक्त आराजीयात पर काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है।

4. यह कि उक्त वर्णित आराजीयात में वादीगण व प्रतिवादी सख्या 1 से 7 हिस्सेनुसार अपने अपने हिस्से पर काबिज होकर सयुक्त रूप से काश्त कर रहे है तथा वादीगणों के पिता रायसिंह की मृत्यु सन् 1997 में हो जाने से प्रतिवादी सख्या 1 व 2 ने राजस्व कर्मचारीयों से मिलीभगत कर वादीगणो के पिता रायसिंह जी के विरासत का नामान्तरण सख्या 243 दिनांक 16/9/1997 को प्रतिवादी सख्या 1 व 2 तथा वादीगणों की माता सविता कुंवर के नाम खुलवा कर स्वीकृत करवा लिया जबकि उक्त आराजीयात में वादीगणों का भी हक व अधिकार है इसलिए प्रतिवादी सख्या 1 व 2 को अकेले को रायसिंह जी के विरासत का नामान्तरण अपने नाम खुलवाने का कोई कानुनी हक व अधिकार नही था तथा ऐसे गलत विरासत के नामान्तकरण के आधार पर प्रतिवादी सख्या 1 व 2 को कोई कानुनी हक व अधिकार प्राप्त नही होते है तथा ऐसा नामान्तकरण वादीगण के मुकाबले बैअसर व शून्य है। प्रतिवादी सख्या 2 ने गलत विरासत का नामान्तरण खुलवाकर वाद की कलम नं. 1 के परिशिष्ट क व ख में अकित आराजीयात में अपना 1/12 हिस्सा तथा परिशिष्ट ग में 1/24 हिस्सा बताते हुए दिनांक 11/10/2022 को नुमाईशी विक्रय पत्र लिख प्रतिवादी सख्या 8 के पक्ष में नुमाईशी विकय पत्र की रजिस्ट्री करा दी है जो वादीगणों के मुकाबलें बैअसर व शुन्य है। तथा ऐसे नुमाईशी विक्रय पत्र से प्रतिवादी सख्या 8 को भी कोई हक व अधिकार प्राप्त नहीं होते है क्योंकि प्रतिवादी सख्या 2 का वाद की कलम नं. 1 के परिशिष्ट क व ख में अंकित आराजीयात में 1/12 हिस्सा व परिशिष्ट ग में अंकित आराजीयात में 1/24 हिस्सा ही नही है तो प्रतिवादी सख्या 1 को अपने हिस्से से अधिक भूमि को विक्रय करने का कोई कानुनी हक व अधिकार नही है। तथा प्रतिवादी सख्या 8 को भी ऐसे नुमाईशी विकय पत्र में गलत अंकित हिस्से के आधार पर कोई कानुनी हक व अधिकार प्राप्त नही होते है, न प्रतिवादी सख्या 2 ने वाद की कलम नं. 1 के परिशिष्ट क व ख में अंकित आराजीयात में 1/12 हिस्से का व परिशिष्ट ग में अंकित आराजीयात में 1/24 हिस्से का कब्जा प्रतिवादी सख्या

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Purohit
Date: 2026.02.10 15:29:54 IST
Reason: SelfAttested

8 को सिपुर्द किया है, न प्रतिवादी सख्या 2 उक्त हिस्से का कब्जा सिपुर्द कर सकता है। नुमाईशी विक्रय पत्र में उक्त हिस्से का कब्जा सिपुर्द करने का अंकन गलत किया है, जब प्रतिवादी सख्या 2 का वाद वर्णित आराजीयात में 1/12 व 1/24 हिस्सा ही नही है तो उक्त हिस्से का कब्जा प्रतिवादी सख्या 8 को सिपुर्द करने का प्रश्न ही नही उठता है।

5. यह कि उक्त वर्णित आराजीयात वादीगण के पिता रायसिंह जी की विरासत से प्रतिवादी सख्या 1 व 2 तथा वादीगण की माता सविता कुंवर के नाम ही दर्ज होने से तथा वादीगण की माता सविता कुंवर की मृत्यु हो जाने से प्रतिवादी सख्या 1 व 2 के नाम उक्त आराजीयाज गलत दर्ज होने से प्रतिवादी सख्या 1 व 2 उक्त आराजीयात को खुर्द बुर्द कर विक्रय हस्तानान्तरण करने पर उतारू है तथा प्रतिवादी सख्या 2 ने नुमाईशी विक्रय पत्र से प्रतिवादी सख्या 8 को अपने हिस्से से अधिक भूमि विक्रय कर दी है इसलिए वादीगणों को अपने हिस्से की आराजीयात के खातेदारी अधिकारों की घोषणा कराना आवश्यक हो गया है।

6. यह कि वाद कारण दिनांक 27/10/2022 को पैदा हुआ जब प्रतिवादी सख्या 2 ने नुमाईशी विक्रय पत्र से प्रतिवादी सख्या 8 को अपने हिस्से से अधिक भूमि विक्रय करने की जानकारी वादीगणों को हुई व प्रतिवादी सख्या 2 ने मौके पर प्रतिवादी सख्या 8 को कब्जा देने का असफल प्रयास किया व प्रतिवादीगणों ने धमकी दी कि उक्त आराजीयात को विक्रय हस्तानान्तरण कर खुर्द बुर्द कर देगे तब पैदा हुआ व पैदा होकर निरन्तर जारी है।

7. अंत में निवेदन किया की वादीगण के पक्ष में व प्रतिवादीगणो के विरूद्ध निम्न आशय की डिक्री जारी फरमाई जावें कि वाद की कलम नं. 1 में वर्णित परिशिष्ट क व ख में अकित आराजीयात में वादी सख्या 1 को 1/24 हिस्से का वादी सख्या 2 को 1/24 हिस्से का व प्रतिवादी सख्या 1 को 1/24 का प्रतिवादी सख्या 2 को 1/24 हिस्से का प्रतिवादी सख्या 3 को 1/24 हिस्से का, प्रतिवादी सख्या 4 से 7 को 1/24 हिस्से का व परिशिष्ट ग में अकित आराजीयात में वादी सख्या 1 को 1/48 हिस्से का . वादी सख्या 2 को 1/48 हिस्से का व प्रतिवादी सख्या 1 को 1/48 हिस्से का प्रतिवादी सख्या 2 को 1/48 हिस्से का प्रतिवादी सख्या 3 को 1/48 हिस्से का प्रतिवादी सख्या 4 से 7 को 1/48 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित फरमाया जावें। व तदनुसार

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2026.02.10 15:29:54 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व रिकार्ड में अंकन करा लगान का अलग अलग बरफाल फरमाया जावें। प्रतिवादीगणों के विरूद्ध इस अमर की स्थाई निषेधाज्ञा जारी फरमाई जावें कि प्रतिवादीगण वाद की कलम नं. 1 में वर्णित आराजीयात में वादीगण को अपने हिस्से की आराजीयात का उपयोग – उपभोग शान्तिपुर्वक करने देवें, वादीगणों के कब्जे काश्त में कोई दखलन्दाजी नही करें, वादीगण को अपने हिस्से की आराजीयात से फसल बोने व फसल लेने में कोई रूकावट पैदा नही करें प्रतिवादी सख्या 8 उक्त नुमाईशी विकय पत्र के आधार पर प्रतिवादी सख्या 9 व 11 से मिलीभगत कर नामान्तरण की कार्यवाही नही करावें, न नामान्तरण खुलवा स्वीकृत करावें, न उक्त नुमाईशी विकय पत्र के आधार पर वाद वर्णित आराजीयात में ताकत के बल पर कब्जा करें, न विक्रय हस्तान्तरण बैह बक्षीस ही करें, मौके व रिकार्ड की यथावत स्थिति बनाए रखें।

8. पत्रावली दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 से 8 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने से इनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही के आदेश पारित किए गए। प्रतिवादी संख्या 9 से 11 आवश्यक औपचारिक पक्षकार होने से जवाब पेश नही करना चाहा। साक्ष्यवादी प्रारम्भ की गई। साक्ष्यवादी के तहत गवाह पी.डब्ल्यू 1 मैनाकुंवर पत्नी मोहनसिंह द्वारा शपथ पत्र प्रस्तुत कर दस्तावेजात मौजा बांसलिया की नकल जमाबंदी संवत 2077–80 की खाता संख्या 72 प्रदर्श 1, खाता संख्या 71 प्रदर्श 2, खाता संख्या 73 प्रदर्श 3, जमाबंदी नकल सम्वत 2052–55 की खाता संख्या 138 प्रदर्श 4, खाता संख्या 124 प्रदर्श 5, खाता संख्या 125 प्रदर्श 6 करवाए गए। गवाह पी.डब्ल्यू 2 श्रीमती जसंबाई पिता रायसिंह पत्नी प्रेमसिंह, गवाह पी. डब्ल्यू 3 श्री गजेसिंह पिता जयसिंह, गवाह पी.डब्ल्यू 4 श्री नाहरसिंह पिता किशनसिंह द्वारा शपथ पत्र पेश किए गए। गवाह पी.डब्ल्यू 1 से 4 से जिरह राजपैरोकार द्वारा की गई। अधिवक्ता वादीगण की एकतरफा दावा बहस सुनी गई। अधिवक्ता वादीगण द्वारा वाद पत्र के तथ्यो को दौहराते हुए वादीगण के वाद पत्र को स्वीकार किये जाने का निवेदन किया।

9. हमने अधिवक्ता वादीगण की एकतरफा बहस पर बगौर मनन किया। पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेजात का अध्ययन किया। हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे की ग्राम बांसलिया पटवार ह[illegible]लिया तहसील मावली की नकल जमाबंदी संवत 2052–55 [illegible] खाता सं[illegible] 138 पर दर्ज आराजी नम्बर 710,

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2026.02.10 15:29:54 IST
Reason: SelfAttested

711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 729, 730 किता 10 रकबा 13 बीघा 9 बिस्वा भूमि में रायसिंह पिता डुलेसिंह के नाम 1/4 हिस्से से दर्ज थी तथा शेष हिस्सा अन्य सहखातेदार के नाम दर्ज रिकॉर्ड है। इसी खाते पर अंकित नामान्तरकरण संख्या 243 दिनांक 16.09.1997 के नोट अनुसार विरासत रायसिंह पिता डुलेसिंह के बजाय दशरथसिंह, रामसिंह पिता रायसिंह, सविता कुंवर बेवा रायसिंह, रामसिंह ना.बा.ब.विलायत माता सविता कुंवर राजपुत के नाम दर्ज करने की स्वीकृति हुई अंकित है।

इसी प्रकार खाता संख्या 124 पर दर्ज आराजी नम्बर 443, 460, 473 किता कुल रकबा 8 बीघा 13 बिस्वा भूमि रायसिंह पिता डुलेसिंह के नाम 1/4 हिस्से से दर्ज थी तथा शेष हिस्सा अन्य सहखातेदार के नाम दर्ज रिकॉर्ड है। इसी खाते पर अंकित नामान्तरकरण संख्या 243 दिनांक 16.09.1997 के नोट अनुसार विरासत रायसिंह पिता डुलेसिंह के बजाय दशरथसिंह, रामसिंह पिता रायसिंह, सविता कुंवर बेवा रायसिंह, रामसिंह ना.बा.ब.विलायत माता सविता कुंवर राजपुत के नाम दर्ज करने की स्वीकृति हुई अंकित है।

इसी प्रकार खाता संख्या 125 पर दर्ज आराजी नम्बर 728, 731, 734 किता 3 कुल रकबा 3 बीघा 16 बिस्वा भूमि रायसिंह पिता डुलेसिंह के नाम 1/8 हिस्से से दर्ज थी तथा शेष हिस्सा अन्य सहखातेदार के नाम दर्ज रिकॉर्ड है। इसी खाते पर अंकित नामान्तरकरण संख्या 243 दिनांक 16.09.1997 के नोट अनुसार विरासत रायसिंह पिता डुलेसिंह के बजाय दशरथसिंह, रामसिंह पिता रायसिंह, सविता कुंवर बेवा रायसिंह, रामसिंह ना.बा.ब.विलायत माता सविता कुंवर राजपुत के नाम दर्ज करने की स्वीकृति हुई अंकित है।

प्रकरण में विवाद केवल मात्र खातेदार रायसिंह पिता डुलेसिंह के हिस्से तक है। खातेदार रायसिंह पिता डुलेसिंह के निधन के पश्चात् वादग्रस्त भूमि में विरासत का नामान्तरकरण संख्या 243 राजस्व कर्मचारियो द्वारा पारित कर प्रथम श्रेणी के वारिसान के नाम दर्ज की गई, परन्तु वादीगण द्वारा वाद पत्र की कलम संख्या 2 में बताए गए सजरे अनुसार खातेदार रायसिंह पिता डुलेसिंह के वारिसान सविता कुंवर पत्नी, दशरथसिंह, रामसिंह, मैनाकुंवर, दर्शनकुंवर, जसुबाई, हंसाकुंवर थे। जिसमें रायसिंह, सविता कुंवर, दर्शनकुंवर का निधन हो चुका है। उक्त सजरे अनुसार वादीगण मृतक खातेदार रायसिंह की पुत्रियां थी। उक्त सजरे के समर्थन में वादीगण द्वारा गवाह पी.डब्ल्यू 1 से 4 के शपथ पत्र

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi
Punadia
Date: 2026.02.10 15:29:54 IST
Reason: SelfAttested

भी प्रस्तुत किए गए है। विरासत के नामान्तरकरण संख्या 243 का अवलोकन करने से स्पष्ट है कि विरासत के नामान्तरकरण में केवल मात्र खातेदार के पुत्र एवं पत्नी का नाम दर्ज किया गया है। अर्थात पुत्रियों के नाम दर्ज नही किए गए। न्यायालय का विनम्र अभिमत है कि वादीगण भी मृतक खातेदार की पुत्रियां होकर प्रथम श्रेणी की वारिसान थी। हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 8 के तहत यदि किसी खातेदार की मृत्यु हो जाती है तो उसमें निहित सम्पूर्ण भूमि उसके प्रथम श्रेणी के वारिस अर्थात पुत्र, पुत्री एवं पत्नी में निहित होती है। इस प्रकरण में भी खातेदार रायसिंह पिता डुलेसिंह के निधन के पश्चात उसके प्रथम श्रेणी के वारिसान में निहित हुई, परन्तु राजस्व कर्मचारियों द्वारा पुत्रियों का नाम अंकित नही कर भारी भूल की है। जिसे सुधारा जाना आवश्यक है। न्यायालय का यह भी मानना है कि खातेदार रायसिंह पिता डुलेसिंह के निधन के पश्चात उसके पुत्र एवं पत्नी के नाम दर्ज होने के पश्चात इनके द्वारा अपने हिस्से में से कुछ भूमि का विक्रय कर दिया गया। जिससे वादग्रस्त भूमि में सहखातेदार के रूप में नए खातेदारो के नाम दर्ज हो गए। उक्त वादग्रस्त भूमि का कुल रकबा 25 बीघा 18 बिस्वा में मृतक खातेदार रायसिंह पिता डुलेसिंह का हिस्सा 6 बीघा भूमि बनती है। इस प्रकार अपने पिता के नाम दर्ज वादग्रस्त भूमि में वादीगण के 2/7 हिस्से अनुसार वादीगण की 1 बीघा 14 बिस्वा भूमि बनती है। ऐसे में प्रतिवादी संख्या 1, 2 एवं इनकी माता के नाम दर्ज शेष हिस्से में से ही वादीगण को 1 बीघा 14 बिस्वा भूमि का खातेदार घोषित किया जाना न्यायोचित पाया जाता है जिससे की क्रेता खातेदार का भी हक प्रभावित नही होगा। इसलिए सभी क्रेता खातेदारो का हक प्रभावित करना न्यायोचित नही है। क्योंकि क्रेता खातेदार द्वारा रिर्कोडेड खातेदार से भूमि क्रय करने से एक सद्भावी क्रेता है। उपर्युक्त विवेचन के आधार पर वादीगण का वाद हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 8 के तहत स्वीकार योग्य पाया जाता है।

—: : आदेश : :—

परिणामस्वरूप वाद वादीगण स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है कि ग्राम बांसलिया पटवार हल्का बांसलिया तहसील मावली की नकल जमाबंदी संवत 2077—80 के खाता संख्या 7 पर दर्ज आराजी नम्बर 710, 711,

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2026.02.10 15:29:54 IST
Reason: SelfAttested

712, 713, 714, 715, 716, 717, 729, 730 किता 10 कुल रकबा 2.1771 हैक्टयर भूमि में सविता कुंवर पत्नी रायसिंह के नाम 1/12 हिस्से से दर्ज है के बजाय वादीगण को संयुक्त रूप से 25/378 हिस्से से खातेदार घोषित किया जाता है। शेष 13/756 हिस्सा सविता कुंवर पत्नी रायसिंह के नाम यथावत रहेगा। साथ ही शेष खाता भी बदस्तुर रहेगा।

इसी प्रकार खाता संख्या 741 पर दर्ज आराजी नम्बर 443, 460, 473 किता 3 कुल रकबा 1.4002 हैक्टयर भूमि में सविता कुंवर पत्नी रायसिंह के नाम 1/12 हिस्से से दर्ज है के बजाय वादीगण को संयुक्त रूप से 1/21 हिस्से से खातेदार घोषित किया जाता है। शेष 1/28 हिस्सा सविता कुंवर पत्नी रायसिंह के नाम यथावत रहेगा। साथ ही शेष खाता भी बदस्तुर रहेगा।

इसी प्रकार खाता संख्या 73 पर दर्ज आराजी नम्बर 728, 731, 734 किता 3 कुल रकबा 0.6152 हैक्टयर भूमि में सविता कुंवर पत्नी रायसिंह के नाम 1/24 हिस्से से, प्रतिवादी संख्या 2 दशरथसिंह पिता रायसिंह के नाम 1/24 हिस्से से तथा प्रतिवादी संख्या 1 रामसिंह पिता रायसिंह के नाम 1/24 हिस्से से दर्ज है के बजाय वादीगण को संयुक्त रूप से 3/28 हिस्से से खातेदार घोषित किया जाता है तथा शेष 1/56 हिस्सा सविता कुंवर पत्नी रायसिंह के नाम यथावत रहेगा। प्रतिवादी संख्या 1, 2 का नाम पूर्ण रूप से हटाये जाने के आदेश दिए जाते है। साथ ही शेष खाता भी बदस्तुर रहेगा।

डिक्री पर्चा पृथक से जारी हो। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो ।

निर्णय आज दिनांक 15.12.2025 को लिखवाया जाकर खुले ईजलास सुनाया गया।

(रमेश सीरवी पुनाडिया R.A.S.)
सहायक कलक्टर
(SDO) मावली

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2026.02.10 16:29:54 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री व मुकद्धमें इब्तदाई

(आ 20 रुल 6–7 जाब्ता दीवानी)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर मावली
बईजलास रमेश सीरवी पुनाडिया, आर.ए.एस.

उनवान्

1. श्रीमती मैना कुंवर (पिता रायसिंह) पत्नि मोहन सिंह जी जाति राजपुत, उम्र वयस्क निवासी बासलिया हाल निवासी डलाकिशनपुरा, तहसील निम्बाहेडा, जिला चितौडगढ़ (राज.)
2. श्रीमती जसु बाई (पिता रायसिंह) पत्नि प्रेमसिंह जी जाति राजपुत, उम्र वयस्क निवासी बासलिया हाल निवासी चमनपुरा, मावली तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज.)

............वादीगण

बनाम्

1. श्री रामसिंह पिता रायसिंह जी जाति राजपुत उम्र वयस्क, निवासी बांसलिया तहसील मावली जिला उदयपुर (राज.)
2. श्री दशरथसिंह पिता रायसिंह जी जाति राजपुत उम्र वयस्क निवासी बांसलिया तहसील मावली जिला उदयपुर (राज.)
3. श्रीमती हंसाकुंवर (पिता रायसिंह जी) पत्नि बहादुरसिंह जी जाति राजपुत उम्र वयस्क निवासी डलाकिशनपुरा, तहसील निम्बाहेडा, जिला चितौडगढ (राज.)
4. श्री पुष्करसिंह पिता देवीसिंह जी (माता दर्शनकुवरं) जाति राजपुत उम्र वयस्क, निवासी अडगेला, तहसील नाथद्वारा जिला राजसमंद (राज.)
5. श्रीमती दिपा कुंवर पिता देवीसिंह जी (माता दर्शनकुवरं) जाति राजपुत उम्र वयस्क, निवासी अडगेला, तहसील नाथद्वारा जिला राजसमंद (राज.)
6. श्रीमती सुशिला कुंवर पिता देवीसिंह जी (माता दर्शनकुवरं) जाति राजपुत उम्र वयस्क, निवासी अडगेला, तहसील नाथद्वारा जिला राजसमंद (राज.)
7. श्रीमती रिना कुंवर पिता देवीसिंह जी (माता दर्शनकुवरं) जाति राजपुत उम्र वयस्क, निवासी अडगेला, तहसील नाथद्वारा जिला राजसमंद (राज.)
8. श्री राजेन्द्र सिंह पिता कालुसिहं जी जाति राजपुत उम्र वयस्क, निवासी भीमल तहसील मावली जिला उदयपुर (राज.)
9. उप पंजीयक मावली तहसील मावली जिला उदयपुर (राज.)
10. पटवारी पटवार हल्का बासलियां, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज.)
11. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार मावली जिला उदयपुर (राज.)

...............प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

मुकदमा न0 : 186/22 (वाद) GCMS No. – 2022/477

यह मुकद्धमा आज वास्ते इन्फिसाल कतई रुबरु रमेश सीरवी पुनाडिया, R.A.S. मिनजानिब मुद्धायलह पेश होकर [illegible] जाता है व डिक्री दी जाती है कि :–

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2026.02.10 15:29:54 IST
Reason: SelfAttested

वाद वादीगण स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है कि ग्राम बांसलिया पटवार हल्का बांसलिया तहसील मावली की नकल जमाबंदी संवत 2077–80 के खाता संख्या 72 पर दर्ज आराजी नम्बर 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 729, 730 किता 10 कुल रकबा 2.1771 हैक्टयर भूमि में सविता कुंवर पत्नी रायसिंह के नाम 1/12 हिस्से से दर्ज है के बजाय वादीगण को संयुक्त रूप से 25/378 हिस्से से खातेदार घोषित किया जाता है। शेष 13/756 हिस्सा सविता कुंवर पत्नी रायसिंह के नाम यथावत रहेगा। साथ ही शेष खाता भी बदस्तुर रहेगा।

इसी प्रकार खाता संख्या 741 पर दर्ज आराजी नम्बर 443, 460, 473 किता 3 कुल रकबा 1.4002 हैक्टयर भूमि में सविता कुंवर पत्नी रायसिंह के नाम 1/12 हिस्से से दर्ज है के बजाय वादीगण को संयुक्त रूप से 1/21 हिस्से से खातेदार घोषित किया जाता है। शेष 1/28 हिस्सा सविता कुंवर पत्नी रायसिंह के नाम यथावत रहेगा। साथ ही शेष खाता भी बदस्तुर रहेगा।

इसी प्रकार खाता संख्या 73 पर दर्ज आराजी नम्बर 728, 731, 734 किता 3 कुल रकबा 0.6152 हैक्टयर भूमि में सविता कुंवर पत्नी रायसिंह के नाम 1/24 हिस्से से, प्रतिवादी संख्या 2 दशरथसिंह पिता रायसिंह के नाम 1/24 हिस्से से तथा प्रतिवादी संख्या 1 रामसिंह पिता रायसिंह के नाम 1/24 हिस्से से दर्ज है के बजाय वादीगण को संयुक्त रूप से 3/28 हिस्से से खातेदार घोषित किया जाता है तथा शेष 1/56 हिस्सा सविता कुंवर पत्नी रायसिंह के नाम यथावत रहेगा। प्रतिवादी संख्या 1, 2 का नाम पूर्ण रूप से हटाये जाने के आदेश दिए जाते है। साथ ही शेष खाता भी बदस्तुर रहेगा।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज तारीख 15.12.2025 को जारी की गई।

(रमेश सीरवी पुनाडिया R.A.S.)
सहायक कलक्टर
(SDO) मावली

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2026.02.10 15:29:54 IST
Reason: SelfAttested